



कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी नगर निगम ग्रेटर (मुख्यालय) जयपुर
(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी टोक रोड जयपुर।)

क्रमांक: एफ.9 () आ.फा. / ज.न.नि. / 22-23 1436

दिनांक 29/11/22

श्री नरेन्द्र वर्मा चेयरमैन,
जानकी देवी एज्युकेशन ट्रस्ट,
सैक्टर न: 19, प्रताप नगर सांगानेर,
जयपुर।

विषय:- अग्निशमन यंत्र/उपकरण का निरीक्षण एवं अग्निशमन की दृष्टि से अभिषंशा पत्र जारी किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदित स्थल सैक्टर न: 19 प्रताप नगर सांगानेर जयपुर में निर्मित स्कूल जानकी देवी एज्युकेशन ट्रस्ट की अग्निशमन अनापत्ति की वार्षिक नवीनीकरण किये जाने हेतु स्थल का अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से मौका निरीक्षण श्रीमति उषा शर्मा अग्निशमन अधिकारी द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान आवेदित स्थल पर स्थापित किये गये अग्निशमन यंत्र/उपकरण सही व कार्यशील अवस्था में पाये गये भवन परिसर में स्थापित किये गये अग्निशमन यंत्र/उपकरण व अन्य व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील अवस्था में रखे जाने हेतु मौके पर उपस्थित अधिकारी व कर्मचारियों को निर्देशित किया गया व फायर के प्रशिक्षित कर्मचारी रखे जाने हेतु भी निर्देशित किया गया। भविष्य में आवेदित स्थल पर रूफटोप रेस्टोरेन्ट का निर्माण कर उपयोग नहीं किया जावेगा। अगर अन्य किसी फर्म को बेचान या लीज पर दिये जावे तो उक्त की पालना सुनिश्चित किये जाने के पश्चात ही अग्रिम कार्यवाही की जावे। अन्यथा अनापत्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। वार्षिक नवीनीकरण रिपोर्ट जारी किये जाने के पश्चात यदि किसी भी कार्य दिवस में स्थल का औचक निरीक्षण किया जाता है और अग्निशमन यंत्र अकार्यशील अवस्था/बन्द पाये जाते हैं तो उक्त लापरवाही की समस्त जिम्मेदारी उक्त फर्म/संस्थान की स्वयं की होगी, व नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। स्थल पर किसी भी प्रकार का संशोधित निर्माण किये जाने से पूर्व इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

इस विभाग द्वारा पूर्व जारी पत्रांक एफ.9 () आ.फा. / न.नि.ज / 14 / 1972 दिनांक 21.11.2014 में अंकित शर्तें यथावत रहेगी।

यह अभिषंशा पत्र पूर्व में जारी किये गए अभिषंशा पत्र की तिथि से दिनांक 11/11/2023 तक नवीनीकृत किया जाता है।


मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम ग्रेटर जयपुर